

मुख्यमंत्री यंग प्रोफेशनल फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम

सीएम फेलोज विकास योजनाओं के क्रियान्वयन व मूल्यांकन में निभाएंगे अहम् भूमिका : डॉ. यादव

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सीएम फेलोज प्रदेश में विकास गतिविधियों और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन तथा प्रभावी मूल्यांकन को सुनिश्चित करेंगे। युवा अपनी योग्यता और क्षमता का उपयोग प्रदेश की बेहतरी और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने में करें।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में मुख्यमंत्री यंग प्रोफेशनल फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत चयनित सीएम फेलोज के पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर प्रशिक्षण सत्र का शुभारंभ किया। इस अवसर



पर ग्लोबल विलेज फाउंडेशन और सुशासन संस्थान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी

हुए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वर्ष 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाएगी। इस दौरान

युवाओं के लिए सालभर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। युवा अपने दायित्वों को

केवल नौकरी न समझें, बल्कि प्रदेश के विकास और जनकल्याण के लिए काम करें। मुख्यमंत्री ने युवाओं को समय प्रबंधन, विनम्रता, बेहतर संवाद और आत्मविश्वास के साथ कार्य करने की सलाह दी। उन्होंने नवाचार अपनाने, परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढालने और किताबी ज्ञान के साथ अनुभव को भी महत्व देने पर जोर दिया। संस्थान के उपाध्यक्ष प्रो. राजीव दीक्षित ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को डाटा विश्लेषण, जिला स्तर की प्रशासनिक संरचना और कार्यप्रणाली की जानकारी दी जाएगी। जनजातीय कल्याण, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, राजस्व, कृषि तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी प्रशिक्षण देंगे।

पैराक्वेट डाइक्लोराइड के उपयोग पर प्रतिबंध, बचा स्टॉक नष्ट करने के निर्देश

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: राज्य शासन ने मानव और पशुओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पैराक्वेट डाइक्लोराइड कीटनाशक के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। भारत सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग ने कीटनाशक का निर्माण करने वाली कंपनियों को इसके विक्रय और भंडारण पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। जिन निर्माताओं के पास इसके पंजीकरण प्रमाणपत्र हैं, उन्हें केंद्रीय कीटनाशी बोर्ड एवं पंजीकरण समिति को वापस करने के लिए कहा गया है। साथ ही, बचे हुए स्टॉक को वापस लेकर नियमानुसार नष्ट करने के निर्देश

दिए गए हैं। भारत सरकार ने कीटनाशक अधिनियम, 1968 के तहत पैराक्वेट डाइक्लोराइड के नए पंजीकरण और पहले जारी सभी पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिए हैं। दुनिया के लगभग 70 देशों में इसका उपयोग पहले से प्रतिबंधित है। यह कीटनाशक पौधों के हरे हिस्सों को तेजी से सुखा देता है। इसे ग्रामोक्सोन जैसे व्यापारिक नामों से भी जाना जाता है। यह मनुष्यों और पशुओं के लिए अत्यधिक विषैला है।

इसके संपर्क में आने या शरीर में पहुंचने से फेफड़ों और गुर्दों को गंभीर नुकसान हो सकता है। इसका कोई विशिष्ट विपरोधी उपचार उपलब्ध नहीं है। मृग की फसल में कुछ किसान कटाई से पहले पतियां सुखाने के लिए इसका अवैध इस्तेमाल करते रहे हैं। इसके छिड़काव से 24 से 72 घंटे में पौधे सूख जाते हैं, जिससे कटाई और गहाई आसान हो जाती है। हालांकि, मृग की फसल में इसके उपयोग की अनुमति नहीं थी।



राज्यपाल से मिले विस अध्यक्ष तोमर नप्र, भोपाल: राज्यपाल मंगुभाई पटेल से विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने सौजन्य भेंट की। श्री तोमर बुधवार को लोकभवन पहुंचे थे। राज्यपाल श्री पटेल का विधानसभा अध्यक्ष श्री तोमर ने अभिवादन कर पुष्प-गुच्छ भेंट किया। उन्होंने राज्यपाल से विभिन्न विषयों पर चर्चा भी की।

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा: अब मोबाइल एप से बुक होंगे बस टिकट

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: प्रदेश में बस यात्रियों को जल्द ही मोबाइल एप के माध्यम से टिकट बुक करने की सुविधा मिल सकती है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत रेलवे टिकट बुकिंग प्रणाली की तर्ज पर एप तैयार किया जा रहा है। इसके जरिए यात्री घर बैठे बस का मार्ग, चढ़ने का स्थान और गंतव्य चुनकर टिकट बुक कर सकेंगे। शुरुआत भोपाल और इंदौर के अंतरराज्यीय बस टर्मिनल से करने की तैयारी है।

मध्य प्रदेश यात्री परिवहन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इस एप को तैयार करा रही है। हालांकि, अभी एप का आधिकारिक नाम, डाउनलोड लिंक और बुकिंग शुरू

►► आईआरसीटीसी की तर्ज पर एप तैयार

►► टिकट नहीं देने वाले कंडक्टर पर कार्रवाई का प्रावधान

होने की तारीख घोषित नहीं की गई है।

योजना के तहत ऑनलाइन टिकट बुकिंग और भुगतान की सुविधा मिलेगी। टिकट की राशि संबंधित बस संचालक के खाते में जमा होगी। एप के संचालन के लिए टिकट राशि पर 0.1 से 0.2 प्रतिशत तक सुविधा शुल्क लेने की व्यवस्था पर भी काम किया जा रहा है। भुगतान के विकल्प और शुल्क से जुड़े अंतिम नियम अभी

स्पष्ट नहीं हैं।

यात्रियों के लिए टिकट रद्द करने, राशि वापस मिलने, यात्रा का समय बदलने और बस छूटने पर अगली बस में उसी टिकट से सफर करने के नियम भी घोषित नहीं हुए हैं। बस स्टैंड, अधिकृत ठहराव और बस की स्थिति से जुड़ी सुविधाओं की जानकारी भी आधिकारिक घोषणा के बाद स्पष्ट होगी।

योजना में बसों की निगरानी, जीपीएस और कैमरे चालू रखने पर जोर दिया गया है। किराया लेने के बाद टिकट नहीं देने वाले परिचालक के खिलाफ कार्रवाई और बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों पर जुर्माने का प्रावधान भी प्रस्तावित है।

प्रदेश के 20 जिलों में तीन दिन आंधी-बारिश के आसार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मध्यप्रदेश में मानसून की विदाई के बाद एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती तंत्र के प्रभाव से 15 से 17 अक्टूबर तक प्रदेश के 20 जिलों में आंधी, गरज-चमक और बारिश हो सकती है। हालांकि, भोपाल, इंदौर और ऊजैन संभाग में मौसम संबंधी अलर्ट जारी नहीं किया गया है। 15 और 16 अक्टूबर को ग्वालियर-चंबल तथा सागर संभाग में बारिश के आसार हैं। 17 अक्टूबर को रीवा, शहडोल और जबलपुर संभाग में भी इसका प्रभाव देखने को

मिल सकता है। प्रभावित होने वाले जिलों में ग्वालियर, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, निवाड़ी, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, मैहर, सिंगरौली, शहडोल, अनुपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट शामिल हैं। प्रदेश से 3 अक्टूबर को मानसून विदा हो चुका है। इस वर्ष जून से सितंबर के दौरान 908.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य औसत से लगभग चार प्रतिशत कम है। पूर्वी मध्यप्रदेश में सामान्य से चार प्रतिशत अधिक, जबकि पश्चिमी मध्यप्रदेश में 12 प्रतिशत तक कम बारिश हुई।



इब्राहिम शेरानी ने संभाला भाजपा अल्प संख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष का पदभार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मध्यप्रदेश में मानसून की विदाई के बाद एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती तंत्र के प्रभाव से 15 से 17 अक्टूबर तक प्रदेश के 20 जिलों में आंधी, गरज-चमक और बारिश हो सकती है। हालांकि, भोपाल, इंदौर और ऊजैन संभाग में मौसम संबंधी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इब्राहिम शेरानी ने बुधवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। इस दौरान पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा और मप्र वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष एवं प्रदेश प्रवक्ता डॉ. सनवर पटेल उपस्थित रहे।

टेंगड़ी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भारतीय मजदूर संघ और भारतीय किसान संघ के संस्थापक, स्व. दत्तोपंत टेंगड़ी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि स्व. दत्तोपंत ने विभिन्न संगठनों के माध्यम से देश के श्रमिकों, किसानों, कारीगरों के अधिकारों की रक्षा के साथ उनके कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया।

ग्वालियर खण्डपीठ ने परिवहन प्राधिकरण गठन को वैध ठहराया

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर खण्डपीठ में निजी बस ऑपरेटर हरिशंकर सिंह पटेल एवं अन्य द्वारा रिट याचिका क्रमांक 15560/2026 दायर किया गया जिसमें राज्य परिवहन प्राधिकरण के गठन से संबंधित राज्य शासन की अधिसूचना 10 अगस्त 2026 की वैधता को चुनौती दी गई थी।

माननीय न्यायमूर्ति जी. एस. अहलूवालिया एवं माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती अनुराधा शुक्ला द्वारा वादी पक्ष को नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर सुना गया और राज्य शासन द्वारा भी माननीय न्यायालय के समक्ष अधिसूचना की वैधानिकता के अनुरूप सशक्त पक्ष रखे गए।

न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों के अधिवचनो को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना को विधि के अनुरूप एवं वैध माना गया तथा रिट याचिका क्रमांक 15560/2026 को खारिज कर राज्य शासन को विधि के अनुसार आगे की कार्यवाही करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई।

इस निर्णय से राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना की वैधानिकता की पुष्टि होने से इससे संबंधित वैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य शासन को आगे की कार्यवाही करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उल्लेखनीय है कि इस याचिका के निरस्त होने से अंतर राज्यों परमिट आवेदनों एवं अन्य संबंधित विषयों पर राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।

15 हजार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति का रास्ता साफ

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मध्यप्रदेश में करीब 15 हजार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नति का अवसर मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इसके तहत पात्र कर्मचारियों को विभागीय पदोन्नति के मामलों में कंप्यूटर दक्षता प्रमाणपत्र परीक्षा (सीपीसीटी) का स्कोर कार्ड प्रस्तुत करने से छूट दी जाएगी। हालांकि, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और कंप्यूटर दक्षता की शर्तें पूरी करना अनिवार्य होगा।

आदेश के अनुसार, पात्र कर्मचारियों को दो साल की परीक्षण अवधि पर पदोन्नति दी जाएगी। इस

►► सीपीसीटी स्कोर कार्ड से मिलेगी छूट

►► दो साल में कंप्यूटर योग्यता हासिल करना अनिवार्य

दौरान उन्हें सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण करने के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा या प्रमाणपत्र हासिल करना होगा।

यदि कर्मचारी दो साल में निर्धारित योग्यता पूरी नहीं कर पाते हैं, तो परीक्षण अवधि अधिकतम तीन साल तक बढ़ाई जा सकेगी। इस प्रकार कुल पांच साल में योग्यता हासिल करना जरूरी होगा। निर्धारित अवधि में

योग्यता पूरी नहीं करने पर कर्मचारी को मूल चतुर्थ श्रेणी पद पर वापस कर दिया जाएगा।

सरकार ने पदोन्नति की निर्धारित तिथि तक 45 वर्ष की आयु पूरी कर चुके कर्मचारियों को भी सीपीसीटी स्कोर कार्ड प्रस्तुत करने से छूट दी है। हालांकि, उनके लिए कंप्यूटर दक्षता की शर्त लागू रहेगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह छूट केवल विभागीय पदोन्नति के मामलों में लागू होगी। सीधी भर्ती या अन्य माध्यमों से होने वाली नियुक्तियों में सीपीसीटी और कंप्यूटर डिप्लोमा संबंधी निर्धारित योग्यताएं पहले की तरह अनिवार्य रहेंगी।

नसीहत

अनुसूचित वर्ग के विकास के लिए ...

संवेदनशीलता से कार्य करें अधिकारी : चौहान



नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: नागर सिंह चौहान ने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति वर्ग

के सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए निरंतर

प्रयास कर रही है। नवनियुक्त अधिकारी शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए पूरी निष्ठा और संवेदनशीलता से कार्य करें।

श्री चौहान बुधवार को मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के राजीव गांधी सभागार में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने चयनित अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि शासकीय सेवा केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि जनसेवा का दायित्व है। अधिकारी ईमानदारी और

पारदर्शिता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। निगम अध्यक्ष सावन सोनकर ने नवनियुक्त अधिकारियों से सेवा-भाव और उत्तरदायित्व के साथ कार्य करने का आह्वान किया। अनुसूचित जाति कल्याण आयुक्त सत्येन्द्र सिंह ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, हितग्राहियों की समस्याओं के समयबद्ध निराकरण और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, द्वारा आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा के माध्यम से निगम में आठ सहायक कार्यपालन अधिकारी और आठ क्षेत्राधिकारी सहित कुल 16 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है।

हिंदी सेवी सम्मान समारोह 16 को

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: अभिव्यक्ति साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था द्वारा हिंदी सेवी नमामि सम्मान समारोह 16 अक्टूबर को आयोजित किया गया है। संस्थापक डॉ अनीता तिवारी ने बताया कि विविध विधाओं के 18 लेखक और

साहित्यकारों को समारोह में सम्मानित किया जाएगा। कानपुर के साहित्यकार डॉ राधेश्याम मिश्र मुख्य अतिथि होंगे। अध्यक्षता करेंगे पद्मश्री नारायण व्यास। पूर्व कुलाधिपति डॉक्टर प्रकाश बरतुनिया, वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा, तथा कथाकार मुकेश वर्मा

विशिष्ट अतिथि होंगे। वरिष्ठ साहित्यकार महेश सक्सेना विशेष अतिथि तथा डॉ नारायणी शुक्ला और डॉक्टर साधना गंगराड़े सारस्वत अतिथि होंगी। दुष्यंत संग्रहालय शिवाजी नगर में समारोह अपराह्न 3 बजे शुरू होगा।

